पत्रांक–9A/मार्गदर्शन (विविध)–07–13/2024–.......2591.......(9A)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–......11/3/25......

विषय :– विभिन्न सरकारी विभागों की भूमि की जमाबंदी कायम करने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–1319(9), दिनांक–20.05.2024.

महाशय,

आप अवगत है कि राज्य के विभिन्न अंचलों में अवस्थित कतिपय सरकारी विभागों की भूमि की जमाबंदी के सृजन के संबंध में प्रासंगिक पत्र पूर्व में निर्गत एवं संसूचित है। इस क्रम में जमाबंदी के सृजन को गति प्रदान करने हेतु हस्तांतरित, अर्जित तथा समय–समय पर अधिसूचित सरकारी भूमि की दाखिल–खारिज कर जमाबंदी कायम करने हेतु "सरकारी भूमि दाखिल–खारिज" पोर्टल विकसित किया गया है।

2. विभिन्न श्रोतों से हस्तांतरित/अर्जित/अधिसूचित सरकारी भूमि की जमाबंदी कायम करने की प्रक्रिया के संबंध में की जा रही पृच्छाओं को ध्यान में रखते हुये विभाग द्वारा भूमि के स्वामित्व अर्जित करने का आधार तथा उस आधार पर जमाबंदी कायम करने की प्रक्रिया के संबंध में एक विस्तृत दिशा–निदेश सभी विभागों तथा अंचल कार्यालयों को निर्गत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. **सरकारी विभाग द्वारा भूमि के स्वामित्व अर्जन का प्रकार :**

I. विभाग/संस्था की खतियानी भूमि,

II. विभाग के स्वामित्व की ऐसी भूमि, जिसका स्वामित्व विभाग को भू–हस्तांतरण, भू–अर्जन, सतत् लीज तथा समय–समय पर अधिसूचित सरकारी भूमि अधिसूचना के आधार पर प्राप्त हो,

4. **सरकारी विभाग द्वारा भूमि के स्वामित्व अर्जन के आधार पर जमाबंदी कायम करने की प्रक्रिया :**

4.1. **विभाग/संस्था की खतियानी भूमि**

सरकारी विभाग की वैसी भूमि, जिसका स्वामित्व खतियान में दर्ज है, की जमाबंदी कायम करने हेतु संबंधित विभाग/संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खतियान की प्रति के साथ विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तत्पश्चात् राजस्व कर्मचारी तथा अंचल

अधिकारी आवेदन की जाँच कर जमाबंदी ऑनलाइन करने की कार्रवाई करेंगे। आवेदन करने तथा आवेदन की निष्पादन की प्रक्रिया निम्नवत होगी :–

4.1.1. <u>आवेदन करने की प्रक्रिया :</u>

(क) संबंधित विभाग/संस्था जिन्हें user credentials उपलब्ध कराया गया हो वे user credentials का उपयोग कर https://biharbhumi.bihar.gov.in/ के "सरकारी भूमि दाखिल–खारिज" में लॉगिन करेंगे।

(ख) जिन विभागो/संस्थानों को user credentials उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा उन्हें स्वयं आवेदन दाखिल करने में कोई परेशानी हो रही हो तो वे अपने कागजात के साथ संबंधित अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी से सम्पर्क करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी अपने कार्यालय के लॉगिन से आवेदन दाखिल (Submit) करवानाँ सुनिश्चित करेंगे

(ग) अब "New Application" पर क्लिक करेंगे।

(घ) संबंधित जिला, अंचल का चयन कर "खतियानी भूमि की जमाबंदी हेतु आवेदन" पर क्लिक करेंगे।

(ड.) अब खतियान में दिये गए विभाग/संस्थान का नाम खाता, खेसरा, भूमि का रकबा दर्ज करेंगे तथा खतियान की PDF प्रति अपलोड कर आवेदन को सुरक्षित (Save) करेंगे। आवेदन दाखिल (Submit) करने से पूर्व उन्हें उनके द्वारा आवेदित किए जाने वाले आवेदन पूर्वावलोकन (Preview) हेतु दिखाया जाएगा। अगर आवेदन में कोई सुधार हो तो वे एडिट (Edit) पर क्लिक कर सुधार सकते है। आवेदन दाखिल (Submit) करते ही उन्हें एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी।

4.1.2. <u>आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया :</u>

(क) आवेदित आवेदन सर्वप्रथम अंचल अधिकारी के लॉगिन में प्रदर्शित होगी। अंचल अधिकारी अवलोकन के उपरांत इसे राजस्व कर्मचारी को जाँच हेतु अग्रसारित करेंगे।

(ख) राजस्व कर्मचारी खतियान की प्रति तथा उस प्रति के आधार पर जमाबंदी कायम करने हेतु किए गए आवेदन का मिलान करेंगे। आवेदन में विभाग/संस्था का नाम, खाता/खेसरा/रकबा सही पाये जाने पर उसे स्वीकृत करने हेतु अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। अगर आवेदन में खतियान से भिन्न किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो राजस्व कर्मचारी उसे एडिट कर सकते हैं।

(ग) अंचल अधिकारी भी राजस्व कर्मचारी द्वारा अग्रसारित आवेदन की पुनः जाँच करेंगे तथा आवेदन में विभाग/संस्था का नाम, खाता/खेसरा/रकबा सही पाये जाने पर उसे स्वीकृत करेंगे। अगर आवेदन में खतियान से भिन्न किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो अंचल अधिकारी भी उसे एडिट कर सकते हैं।

(घ) अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकृति के पश्चात लगान के साथ जमाबंदी स्वतः दर्ज कर ली जाएगी, जिसे संबंधित विभाग बिहारभूमि पोर्टल से देख सकते है तथा भू–लगान पोर्टल से लगान का भुगतान कर सकते है।

4.2. <u>विभाग के स्वामित्व की ऐसी भूमि, जिसका स्वामित्व विभाग को भू–हस्तांतरण, भू–अर्जन तथा समय–समय पर अधिसूचित (यथा वन विभाग) सरकारी भूमि की अधिसूचना के आधार पर प्राप्त हो :</u>

विभिन्न प्रक्रियाओं यथा भू–हस्तांतरण, भू–अर्जन, सतत् लीज तथा समय–समय पर अधिसूचित सरकारी भूमि की अधिसूचना से अंतरित भूमि की दाखिल–खारिज कर जमाबंदी सृजन करने संबंधी विस्तृत दिशा–निदेश विभागीय परिपत्र संख्या–1319(9), दिनांक–20.05.2024 द्वारा निर्गत है, जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

4.2.1. <u>प्रासंगिक पत्र द्वारा संसूचित प्रक्रिया के तहत आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में आंशिक संशोधन :</u>

(क) संबंधित विभाग/संस्था जिन्हें user credentials उपलब्ध कराया गया हो वे user credentials का उपयोग कर https://biharbhumi.bihar.gov.in/ के "सरकारी भूमि दाखिल–खारिज" में लॉगिन करेंगे।

(ख) जिन विभागो/संस्थानों को user credentials उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा उन्हें स्वयं आवेदन दाखिल करने में कोई परेशानी हो रही हो तो वे अपनें कागजात के साथ संबंधित अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी से सम्पर्क करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी अपने कार्यालय के लॉगिन से आवेदन दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

5. सम्प्रति उक्त विभागीय परिपत्र संख्या–1319(9), दिनांक–20.05.2024 के आलोक में सरकारी भूमि की दाखिल–खारिज की कार्रवाई की जा रही है। कतिपय मामलों में यह प्रकाश में आया है कि संबंधित संस्था के पास उसके स्वामित्व की भूमि से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है या आंशिक रूप से संस्था की भूमि से संबंधित दस्तावेज़ उपलब्ध है, परन्तु संस्था का उस पर दखल–कब्जा है। इस परिस्थिति में निम्नांकित प्रक्रिया अपनायी जाएगी :–

5.1. <u>स्वामित्व अर्जन से संबंधित साक्ष्य नहीं होने अथवा सम्पूर्ण साक्ष्य नहीं होने की स्थिति में दाखिल–खारिज की प्रक्रिया :</u>

<u>**Case-1**</u>

5.1.1. वैसे विभाग/संस्थान जिनके स्वामित्व की भूमि के अंतरण से संबंधित पूर्ण दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है लेकिन संस्था के स्वामित्व की भूमि का कतिपय साक्ष्य यथा खाता/खेसरा/रकबा या नक्शा उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में दाखिल–खारिज हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

5.1.1.1. अगर किसी संस्थान के पास उसके उपयोग हेतु अंतरित भूमि से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज़ (यथा भू–हस्तांतरण आदेश/अभिलेख या भू–अर्जन अधिघोषणा/अवार्ड) न हो, लेकिन उस संस्था के स्वामित्व की भूमि का साक्ष्य यथा खाता/खेसरा/रकबा या अंतरित भूमि का नक्शा उपलब्ध हो तो ऐसे में उस संस्था द्वारा अंचल अधिकारी के माध्यम से सरकारी अमीन से मापी कराकर, मापी प्रतिवेदन एवं आंशिक दस्तावेज़ के आधार पर सरकारी भूमि दाखिल–खारिज पोर्टल पर संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना होगा।

Case-2

5.1.2. वैसे संस्थान जिनके स्वामित्व की भूमि के अंतरण से संबंधित कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं है और ना हीं संस्था के स्वामित्व की भूमि का कोई नक्शा अथवा खाता/खेसरा उपलब्ध है तो ऐसी स्थिति में दाखिल–खारिज हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

5.1.2.1. संस्थान की भूमि से संबंधित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सर्वप्रथम संस्था के प्रमुख द्वारा संस्था के कब्जे की भूमि को चिन्हित कर अंचल अधिकारी के माध्यम से मापी कराई जाएगी। मापी प्रतिवेदन तथा संस्था प्रमुख का शपथ–पत्र, जिसमें यह वर्णित हो कि संस्था की पूर्ण जमीन की मापी करा ली गई है तथा संस्था के किसी भी भू–खंड पर अतिक्रमण नहीं है, के आधार पर सरकारी भूमि दाखिल–खारिज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन देना होगा।

5.1.3. <u>उपरोक्त दोनों मामलों में आवेदन दायर करने की प्रक्रिया :</u>

(क) संबंधित विभाग/संस्था जिन्हें user credentials उपलब्ध कराया गया हो वे user credentials का उपयोग कर https://biharbhumi.bihar.gov.in/ के "सरकारी भूमि दाखिल–खारिज" में लॉगिन करेंगे।

(ख) जिन विभागो/संस्थानों को user credentials उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा उन्हें स्वयं आवेदन दाखिल करने में कोई परेशानी हो रही हो तो वे अपने कागजात के साथ संबंधित अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी से सम्पर्क करेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी अपने कार्यालय के लॉगिन से आवेदन दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) अब "New Application" पर क्लिक करेंगे।

(घ) संबंधित जिला, अंचल का चयन कर "नया दाखिल–खारिज आवेदन करें" पर क्लिक करेंगे।

(ङ.) अब दिये गए प्रपत्र में सबसे पहले Mutation Type में "Mutation on Basis of Amin Mapi Report" चयन कर विभाग/संस्थान का नाम, खाता, खेसरा, भूमि का रकबा दर्ज करेंगे तथा मापी प्रतिवेदन/आंशिक दस्तावेज़ की PDF प्रति अपलोड कर आवेदन को दाखिल (Submit) करेंगे। दाखिल (Submit) करने से पूर्व उन्हें उनके द्वारा आवेदित किए जाने वाले आवेदन उन्हें पूर्वावलोकन (Preview) हेतु दिखाया जाएगा। अगर आवेदन में कोई सुधार हो तो वे एडिट पर क्लिक कर सुधार कर सकते है। आवेदन दाखिल (Submit) करते ही आपको एक वाद संख्या प्राप्त होगी। आवेदन निष्पादन की प्रक्रिया विभागीय परिपत्र संख्या–1319(9), दिनांक–20.05.2024 में वर्णित है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा–निर्देश के आलोक में सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा हस्तांतरित/बन्दोबस्त सरकारी भूमि एवं अधिग्रहित रैयती भूमि की जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई हेतु संबंधित अधीनस्थ पदाधिकारियों को निदेशित किया जाय।

<u>अनु0–प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।</u>

विश्वासभाजन

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

E:\2025\9A\Circular\Govt.Land Mutation 2.docx

पत्रांक–9/सै0–दा0खा0 (विमानपत्तन)–02/2023–.......................(9)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई–मेल

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी समाहर्त्ता, बिहार।

पटना–15, दिनांक–.................

विषय :– विभिन्न प्रक्रियाओं से अन्तरित सरकारी भूमि की जमाबंदी सृजित किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि सरकारी कार्य/उद्देश्य हेतु सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा हस्तान्तरित/बंदोबस्त सरकारी भूमि एवं अधिग्रहित रैयती भूमि के जमाबंदी कायम करने में कठिनाईयों का उल्लेख करते हुए संबंधित संस्थानों के अनुरोध के बावजूद उनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं की जा रही है। इन कठिनाईयों को दूर करने हेतु एवं विभागों/उपक्रमों के नाम से जमाबंदी खोलने हेतु ऑनलाईन व्यवस्था की जा रही है जो विभाग के वेबसाइट https://biharbhumi.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगी।

2. सरकारी भूमि का हस्तान्तरण/अन्तरण मुख्य रूप से तीन प्रकार के प्रक्रियाओं से किये जाने का प्रावधान है:–(1) सरकारी भूमि का विभिन्न परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों निगमों/सोसाइटी/प्राधिकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को राज्य में सड़क निर्माण हेतु निःशुल्क आधार पर अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण ।

(2) सरकारी भूमि की किसी व्यक्ति विशेष यथा–सैनिक/अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (सुयोग्य श्रेणी)

के परिवारों के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के वैसे बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकार जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमीन की बंदोबस्ती लेते है, के साथ सशुल्क आधार पर सलामी एवं पूंजीकृत मूल्य के भुगतान पर जमीन की स्थायी बंदोबस्ती के माध्यम से किसी विभाग/संस्था को प्राप्त हुई भूमि की बंदोबस्ती।

(3) विभिन्न केन्द्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु रैयती भूमि का अधिग्रहण एवं सतत लीज।

3. राजस्व विभागीय पत्रांक–636 दिनांक–12.03.91 द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकार आदि के कार्यालय भवन/आवासीय भवन के निर्माण हेतु निःशुल्क आधार पर सरकारी भूमि के स्थायी हस्तान्तरण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय संस्थानों (राज्य में सड़क परियोजना हेतु NHAI को छोड़कर) एवं राज्य सरकार के वैसे बोर्ड/निगम/निकाय/प्राधिकार जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जमीन की बंदोबस्ती लेते है, के साथ प्रचलित बाजार दर (MVR दर) पर सलामी एवं सलामी के दो प्रतिशत (आवासीय प्रयोजन) या पाँच प्रतिशत (व्यवसायिक प्रयोजन) के 25 गुना पूँजीकृत मूल्य के रूप में भुगतान पर सरकारी भूमि के स्थायी बंदोबस्ती का प्रावधान है। उक्त प्रावधान के आधार पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति उपरान्त आदेश/स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जाता रहा है। उक्त क्रम में भूमि हस्तान्तण की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए राजस्व विभागीय संकल्प पत्रांक--359 दिनांक–19.05.2014 के द्वारा 03 एकड़ तक सरकारी भूमि के अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की शक्ति समाहर्त्ता को एवं 03 एकड़ से अधिक परन्तु 05 एकड़ तक प्रमंडलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित भी की गई है। इस प्रकार समाहर्त्ता/प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से भी भूमि हस्तान्तरण के स्वीकृत्यादेश भी निर्गत किये जा रहे हैं।

D:\Shail secon-9\2024\Manish sir\Govt Land Jamabandi lett..docx-2

4. राजस्व विभागीय पत्रांक–3848/रा0 दिनांक–05.05.1951, पत्रांक–6963 दि0–25.09.1953, पत्रांक–3881/रा0 दिनांक–22.05.1954, पत्रांक–2071/रा0 दिनांक–19.03.1955, पत्रांक–1962/रा0 दिनांक–11.03.1957, पत्रांक–8401/रा0 दिनांक–13.09.1960, पत्रांक–1479/रा0 दिनांक–21.02.1964, पत्रांक–1263 (6) दिनांक–10.12.2009 के आलोक में पूर्व से अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (सुयोग्य श्रेणी) के परिवारों के साथ भूमि बंदोबस्ती एवं पत्रांक–1946/रा0 दिनांक–23.03.1963 तथा पत्रांक–4725/रा0 दि0–16.08.1972 द्वारा सैनिकों के साथ सरकारी जमीन की बंदोबस्ती की जाती है।

5. इस प्रकार सरकारी भूमि का हस्तान्तरण/बंदोबस्ती विभिन्न मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी/समाहर्त्ता/प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से एवं कुछ मामलों में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति उपरान्त विभाग के स्तर से आदेश निर्गत किये जाते हैं।

6. **उल्लेखनीय है कि बिहार भूमि दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 के अध्याय–3 की धारा–4(3) एवं नियमावली–2012 की नियम–4(2)** में भी उल्लेखित है कि लोक भूमि की बंदोबस्ती, अंतरण, समनुदेशन (Assignment) के संबंध में अंतिम आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी उस क्षेत्र के अंचल अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में भूमि अवस्थित है, को आदेश की सूचना विहित प्रपत्र (**प्रपत्र–VII**) (संलग्न) में उपलब्ध करायेगा।

7. उपर्युक्त आलोक में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी भूमि को अन्तरण/बन्दोवस्ती अथवा सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश की प्रति एवं विहित प्रपत्र–VII में वांछित सूचनायें संबंधित अंचल अधिकारी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

8. उक्त सूचना का सम्प्रेषण निर्बाध रूप से करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की गई है। उक्त माध्यमों से अंतरित सरकारी भूमि के दाखिल खारिज हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, आयुक्त, समाहर्त्ता एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी बिहार भूमि पोर्टल अंतर्गत दिए गए लिंक 'सरकारी भूमि का दाखिल खारिज' के अंतर्गत Annexure-1 (प्रति संलग्न) में अंकित प्रक्रिया का पालन करते हुए सूचना संबंधित अंचल अधिकारी को प्रेषित करेंगे।

9. संबंधित अंचल अधिकारी, ऑनलाईन जमाबंदी सृजित करने हेतु ई–जमाबंदी मॉडयूल के अंतर्गत **Annexure-2** में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए दाखिल–खारिज/जमाबंदी सृजित करेंगे (सुलभ प्रसंग हेतु Annexure-2 की छायाप्रति संलग्न)।

10. उपरोक्त प्रक्रिया का क्रियान्वयन ससमय करने हेतु निम्न प्रकार की व्यवस्था एवं समय सीमा का प्रावधान किया जा रहा है :–

(क) सभी प्राधिकार अर्थात् राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, समाहर्त्ता, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से login बना दिया गया है जिसकी सूचना आपको अलग से दी जा रही है। ये सभी प्राधिकार उनके कार्यालय में उपलब्ध जमीन के अंतरण/बन्दोवस्ती/भू–अर्जन से संबंधित मामलों के संबंध में अनुलग्नक–1 में दी गयी प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक आदेश/कागजात अभियान चलाकर दिनांक–30 जून, 2024 तक अपलोड कर देंगे।

(ख) अधियाची विभाग के पास अंतरण/बन्दोवस्ती/भू–अर्जन के उपलब्ध कागजातों के आधार पर वे अपने स्तर से भी संबंधित प्राधिकार जिनके स्तर से आदेश निर्गत हुआ है, के कार्यालय में संपर्क कर उनके माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु सूचना अपलोड करवाने में सहायता करेंगे एवं उनके विभाग से संबंधित सभी अंतरणों की सूचना अपलोड हुई या नहीं, इस पर निगरानी रखेंगे।

D:\Shail secon-9\2024\Manish sir\Govt.Land Jamabandi lett..docx-4

(ग) सभी अंचलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी भूमि के दाखिल–खारिज हेतु इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर एवं निर्धारित अवधि के अन्दर निष्पादित किया जाय एवं यह भी निगरानी रखेंगे कि किसी भी परिस्थिति में हल्का कर्मचारी अथवा राजस्व पदाधिकारी के स्तर पर निर्धारित अवधि से ज्यादा कागजात लंबित ना रहे। सरकारी जमीन की दाखिल खारिज की समीक्षा संबंधित समाहर्त्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा अलग से की जायेगी ताकि यह प्रक्रिया ससमय पूरी हो जाये।

(घ) अभियान बसेरा अन्तर्गत सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों के साथ वासभूमि की बंदोबस्ती गैर–मजरूआ आम श्रेणी की भूमि के मामलों में समाहर्त्ता द्वारा तथा अन्य श्रेणी की भूमि के मामलों में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जाती है परंतु अभिलेख अंचल कार्यालय में संधारित रहता है। ऐसे मामलों में अंचल अधिकारी संबधित परवाना की प्रति एवं अन्य विहित सूचना/बंदोबस्त प्रमाणपत्र समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी के Login से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

11. उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है या ऐसा कोई विशेष मामला हो जो उपरोक्त से आच्छादित ना होता हो अथवा जिसका उपरोक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत दाखिल–खारिज करना एवं संबंधित विभाग/उपक्रम के नाम से जमाबंदी कायम करना संभव नहीं हो पा रहा हो तो उसके लिए संबंधित प्राधिकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से अलग से मार्गदर्शन ले लेंगे।

कृपया उपरोक्त प्रक्रिया का ससमय क्रियान्वित कराने पर समुचित निगरानी रखी जाय एवं इसका नियमित रूप से, कम से कम साप्ताहिक तौर पर अनुश्रवण किया जाय।

<u>अनुलग्नक– यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

ह०/–
(जय सिंह)
सचिव।

D:\Shail secon-9\2024\Manish sir\Govt.Land Jamabandi lett..docx-5

ज्ञापांकः–9/सै0–दा0खा0 (विमानपत्तन)–02/2023–..............(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–दा0खा0 (विमानपत्तन)–02/2023–..............(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–दा0खा0 (विमानपत्तन)–02/2023–..............(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– ....

प्रतिलिपिः– सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(जय सिंह)
सचिव।

ज्ञापांकः–9/सै0–दा0खा0 (विमानपत्तन)–02/2023–1319(9)/रा0, पटना–15, दिनांक– 20.05.2024

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव।
20/5/24

D:\Shail seron-5\2024\Manish sir\Govt Land Jamabandi lett..docx-6

ANNEXURE-1

सक्षम प्राधिकार द्वारा भू–अर्जन, सतत लीज, भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज हेतु सूचना प्रेषित करने की प्रक्रिया :–

1. ऑनलाईन पोर्टल खोलें तथा "सरकारी भूमि नामांतरण" लिंक पर क्लिक करें।
2. राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया user credentials का उपयोग कर पोर्टल में लॉगिन करें।
3. लॉगिन के उपरांत Govt Land Mutationमेनू के अंतर्गत sub-menu Apply New Case पर क्लिक करें।
4. Apply New Case पर क्लिक करने के उपरांत भू–अर्जन, सतत लीज, भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज सूचना प्रेषित करने का प्रपत्र खुलेगा, जिसमे उत्तरदायी प्राधिकार द्वारा वांछित सूचना भरा जायेगा।
5. सर्वप्रथम अंतरित भूमि प्राप्त करने वाले का प्रकार यथा– 1. संस्थान या 2. व्यक्ति चुनना होगा।
6. उसके उपरांत संस्थान या व्यक्ति का विवरण भरना होगा।
7. संस्थान या व्यक्ति का विवरण भरने के उपरांत अंतरित की जानी वाली भूमि का विवरण यथा अंचल, हलका, मौज़ा तथा उस मौजे के सभी खाता, खेसरा तथा रकबा, चौहद्दी को भरना होगा।
8. अंतरित भूमि के विवरण को भरने के उपरांत अंतरित भूमि के दाखिल–खारिज हेतु संबन्धित साक्ष्य यथा–1. भू–अर्जन के मामले में –अधिघोषणा एवं पंचाट की प्रति (2.) लीज के मामले में–लीज डीड़ की प्रति (3) हस्तान्तरण के मामले में–सक्षम प्राधिकार (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/आयुक्त/समाहर्त्ता) का आदेश (4) बंदोबस्ती के मामले में–सक्षम प्राधिकार का आदेश की PDFकॉपी अपलोड करना होगा।
9. उपरोक्त सभी विवरण भरने के बाद submit बटन पर क्लिक करें। अब आपको सूचना का preview दिखाई देगा, अगर सभी विवरण सही है तो finalize बटन पर क्लिक करें। अगर कोई सुधार है तो एडिट बटन पर क्लिक कर सूचना सुधार कर finalize करें।
10. Finalize होने के उपरांत सूचना अंचलाधिकारी के लॉगिन में स्वतः अग्रसारित हो जाएगी।

ANNEXURE-2

भू–अर्जन, सतत लीज, भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज के निष्पादन की प्रक्रिया :–

1. प्राधिकार द्वारा प्रेषित सूचना संबंधित अंचलाधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "Forward to KC" में दिखाई देगी। अंचलाधिकारी सूचना के अवलोकनोपरान्त इसे राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन हेतु अग्रसारित करेंगे।

2. राजस्व कर्मचारी को सूचना ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "New Application" के अंतर्गत दिखेगी, जहां वो सूचना विवरण को view कर सकते है तथा Process पर क्लिक कर अपना प्रतिवेदन दायर करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

   (A). भू–अर्जन, सतत लीज से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज वाद से संबन्धित मामलों में राजस्व कर्मचारी को अभिलेख की जांच कर, प्रत्येक खेसरा को किस जमाबंदी के खेसरा से खारिज किया जाना है, से संबन्धित प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे तथा वाद के दाखिल–खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

   (B).भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि जिनमें सरकारी भूमि निहित है, के दाखिल–खारिज वाद से संबन्धित मामलों में राजस्व कर्मचारी अभिलेख का सत्यापन करेंगे तत्पश्चात् वाद के दाखिल–खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

3. कर्मचारी का प्रतिवेदन पूर्ण होने के उपरांत उपरोक्त वाद ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation"के sub-Menu "Forward to RO" के अंतर्गत दिखेगी, जहां से वो इसे राजस्व अधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

4. राजस्व अधिकारी को उक्त वाद ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "New Application" के अंतर्गत दिखेगी, जहां वो वाद को view कर सकते है तथा Process पर क्लिक कर अपना प्रतिवेदन अंकित करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

   (A). भू–अर्जन, सतत लीज से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज वाद से संबन्धित मामलों में वाद के साथ संलग्न अभिलेख की जांच कर, राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित प्रत्येक खेसरा को किस जमाबंदी के खेसरा से खारिज किया जाना है, से संबन्धित प्रतिवेदन की जांच करेंगे तथा वाद के दाखिल–खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

   (B). भू–हस्तांतरण तथा भू–बंदोबस्ती से अन्तरित भूमि के दाखिल–खारिज वाद से संबन्धित मामलों में वाद के साथ संलग्न अभिलेख की जांच करेंगे तथा वाद के दाखिल–खारिज से संबन्धित अपना मन्तव्य इंगित करेंगे।

5. राजस्व अधिकारी का प्रतिवेदन पूर्ण होने के उपरांत उक्त वाद ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "Forward to CO" के अंतर्गत दिखेगी, जहां से वो इसे अंचल अधिकारी को अग्रसारित करेंगे।

6. अब उक्त वाद अंचल अधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "Aam-Khas Suchana" के अंतर्गत दिखेगी, जहां वो सूचना/वाद का विवरण, KC, RO प्रतिवेदन को view कर सकते हैं तथा आम–खास सूचना निर्गत करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

7. अब उक्त वाद अंचलाधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "Final Order" के अंतर्गत दिखेगी। 14 दिन तक यह वाद नोटिस पीरियड में रहेगी, इस दौरान वाद का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। 14 दिन के उपरांत अंचलाधिकारी अपना आदेश अंकित करने के उपरांत डिजिटल साइन करेंगे।

8. आदेश के उपरांत वाद अंचलाधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "Update Reg–2" के अंतर्गत दिखेगी। जहां से वाद को Process कर update Reg–2 बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने से शुद्धि पत्र निर्गत हो जाएगी तथा रकबा पूर्व के रैयत से खारिज हो जाएगी तथा एक जमाबंदी requisitioning Authority/Raiyat के नाम से खुलेगी तथा वाद के सभी खेसरा तथा रकबा उस जमाबंदी में इंद्राज हो जाएगी।

9. Correction Slip generate होने के उपरांत उक्त वाद अंचलाधिकारी को ई–जमाबंदी मॉड्यूल लॉगिन के अंतर्गत उपलब्ध Menu "Govt Land Mutation" के sub-Menu "Correction Slip" के अंतर्गत दिखेगी, जहां से अंचलाधिकारी correction Slip के अवलोकनोपरांत उसपर डिजिटल साइन करेंगे। ऐसा करते ही वाद निष्पादित हो जाएगा।

प्रपत्र-VII

(देखें नियम–4 उप नियम–(2))

प्राधिकारी द्वारा भूमि में हित अर्जन के बारे में सूचना का प्रपत्र

क्र० संख्या	व्यक्ति जिसके द्वारा भूमि में हित अर्जित किया गया है, का नाम व पता	हित अर्जन की विधि यथा लोक भूमि की बंदोबस्ती/अंतरण/सौंपा जाना, हदबंदी से अधिशेष भूमि का वितरण, प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति को पर्चा, महादलित परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय, अर्जित भूमि का प्रत्यावर्त्तन, भूदान भूमि का अनुदान, उप रैयत को कायमी हक दिया जाना इत्यादि।	आदेश संख्या एवं तिथि	आदेश पारित करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अधिनियम/ नियमावली/ नीति/ हस्तक/ कार्यपालक अनुदेश जिसके अधीन आदेश पारित किया गया है।	आदेश का सार	भूमि के ब्यौरे					
							अंचल/ जिला	राजस्व ग्राम/ राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भूमि का रकबा	चौहद्दी

अंचल अधिकारी .... की आवश्यक कार्रवाई हेतु।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर

कार्यालय मुहर

तिथि–..................................

अनुलग्नक :–